पटना में दिनांक–25 जनवरी, 2016 सोमवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

परिवहन विभाग

1.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में पारित विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में निगम को कुल रू० 318.24 करोड़ ऋण के रूप में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवारों की पहचान हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने एवं इसके अनुरूप परिवारों की पहचान कर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पांत्र परिवारों को आच्छादित करने के लिए विभागीय अधिसूचना सं०–8815, दिनांक– 19.11.2015 के घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

4.	सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के अंतर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन और आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्यक्रमों एवं सरकार के अन्य संकल्पों का मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण करने के लिए "**बिहार विकास मिशन**" के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5.	श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1312/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कैमूर, भभुआ की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

6. बिहार पुलिस में स्पोर्टस कोटा में खेल–कूद में प्रदर्शन के आधार पर सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति एवं पारी से बाहर प्रोन्नति हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०–9485, दिनांक–23.12.2013 के कंडिका–2(ख) के नियुक्ति प्राधिकार में पुलिस महानिदेशक के स्थान पर सिपाही के लिये पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक के लिये पुलिस उप–महानिरीक्षक सहित अन्य संशोधन के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

7. षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 182वें सत्र को आहूत करने की तिथि तथा उनके औपबंधिक कार्यक्रम के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

8. बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. संविदा के आधार पर नियोजित अमीनों की संविदा अवधि विस्तार के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

10. राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से मद्य निषेध को चरणवद्ध ढंग से लागू करने के निर्णय के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग
(कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)

11. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्गावती कैड योजना के कार्यान्वयन हेतु सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, पटना को स्थापना मद में 100.00 लाख रूपये तथा कार्य मद में 500.00 लाख रूपये अर्थात कुल 600.00 लाख रूपये (छः करोड़ रूपये) सहाय्य अनुदान की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों को विभिन्न चालू कैड योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्य मद में स्वीकृत सहाय्य अनुदान राशि 1670.00 लाख रूपये (सोलह करोड़ सत्तर लाख रूपये) को आवश्यकतानुसार किसी भी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण की किसी भी कैड योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

12. राज्य के चार (4) जिलों यथा मुंगेर, समस्तीपुर, गोपालगंज एवं शेखपुरा में नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 36 (छत्तीस) शैक्षणिक तथा 31 (इकतीस) गैर शैक्षणिक पदों अर्थात कुल 144 शैक्षणिक तथा 124 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. विभागान्तर्गत नवस्वीकृत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम तथा कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार के लिए प्रति संस्थान 64 (चौंसठ) शैक्षणिक तथा 39 (उनचालीस) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 128 (एक सौ अठाईस) शैक्षणिक तथा 78 (अठहतर) गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से दो लाख पचास हजार रूपये तक वार्षिक आय वाले बिहार के नागरिकों के असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में द्वितीय अनुपूरक बजट में उपबंधित राशि ₹ 5,00,00,000/–(पाँच करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

15. कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत कृषकों को विभिन्न वर्षो में दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि में संशोधन के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

विधि विभाग

16. उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में स्वीकृत प्रशासी पदाधिकारी के 14 पद, शपथ आयुक्त के 2 पद एवं स्टाम्प रिपोर्टर के 1 पद कुल 17 पदों को समाप्त करते हुए, इसके बदले, इनके समकक्ष सहायक निबंधक के 6 पद एवं प्रशाखा पदाधिकारी के 11 पद, कुल 17 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

वित्त विभाग

17. बिहार विधान मंडल सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त आवंटन कम हो जाने के कारण उक्त अग्रिम की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 4,00,00,000/– (चार करोड़ रूपये) की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में। — 17. स्वीकृत।